COVID 19
MOST URGENT

उपायुक्त का कार्यालय, हजारीबाग
(COVID-19 CELL)

-: आदेश :-

(मिडिया कोषांग)

ज्ञात है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा दिसम्बर-2019 में कोरोना वायरस (COVID-19) के संक्रमण को एक वैश्विक महामारी घोषित किया गया है। यह संक्रमण संक्रमित रोगी के खांसने और छींकने से उत्पन्न बूंदों से लम्बे समय तक रोगी के सम्पर्क से फैलता है।

भारत में COVID-19 का प्रसार ज्यादातर मामलों में लोगों के करीबियों द्वारा की गई यात्राओं के माध्यम से आयातित है। ऐसी स्थिति में झारखण्ड में इसके प्रसार के रोकने के लिए कड़े सामाजिक अलगाव एवं यात्राओं को प्रतिबंधित करने हेतु The Epidemic Disease Act-1897 की धारा 2, 3, 4 के आलोक में The Jharkhand State Epidemic Disease (COVID-19) Regulations,2020 जारी किया गया है जो झारखण्ड सरकार के स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के अधिसूचना संख्या 61(13), दिनांक 16.03.2020 द्वारा संसूचित है।

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड के आदेश संख्या 98/HSN दिनांक 22.03.2020 द्वारा दिनांक 22.03.2020 के मध्य रात्रि 12.00 बजे से 31.03.2020 के मध्य रात्रि तक एवं पुनः माननीय प्रधानमंत्री महोदय की उदघोषणा एवं गृह मंत्रालय द्वारा निर्गत Advisory संख्या 40-3-2020 दिनांक 24.03.2020 के माध्यम दिनांक 14. 04.2020 तक आकस्मिक सेवाओं एवं आदेश में वर्णित अन्य कार्यालयों एवं प्रतिष्ठानों को छोड़कर पूरे देश में पूर्णतया (Lock down) घोषित किया गया है।

उपरोक्त के आलोक में सही सूचना के प्रसारण एवं अफवाहों पर नियंत्रण हेतु निम्न रूप से **मिडिया कोषांग** का गठन किया जाता है :-

1. जिला सूचना जन सम्पर्क पदाधिकारी, हजारीबाग इसके नोडल पदाधिकारी होंगे।
2. जिला सूचना जन सम्पर्क कार्यालय में कार्यरत सभी पदाधिकारी एवं कर्मी इस कोषांग में कार्यरत रहेंगे।
3. साइबर सेल हजारीबाग इस कार्य में जिला सूचना जन सम्पर्क पदाधिकारी को आवश्यक सहयोग करेंगा।

मिडिया कोषांग निम्न रूप से कार्य करेंगा :-

1. COVID-19 (कोरोना वायरस) के रोकथाम हेतु ग्राम, पंचायत, प्रखण्ड, एवं जिलास्तर पर व्यापक प्रचार प्रसार करना सुनिश्चित किया जाय। इस निमित ऑल इण्डिया रेडियो, दूरदर्शन एवं सोशल मिडिया का उपयोग कर लोगों में इसके प्रति जागरूकता पैदा करना सुनिश्चित किया जाय, ताकि जिला प्रशासन को कोरोना वायरस के रोकथाम हेतु आम जनों से पर्याप्त सहयोग प्राप्त हो सके।
2. COVID-19 महामारी को नियंत्रित करने हेतु पूर्णता तालाबंदी किया गया है। इस दौरान किसी प्रकार का अफवाह आमजनों में न फैले इसके लिए आवश्यक है कि प्रतिदिन जिला से संबंधित वस्तुस्थिति से आमजनों को अवगत कराया जाय। इसके लिए जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी प्रतिदिन 4:00 बजे प्रेस रिलिज निर्गत करना सुनिश्चित करेंगे।

3. COVID-19 महामारी के आलोक में किये गये तालाबंदी (Lock down) के दौरान सोशल मिडिया के माध्यम से गलत सूचना की सम्भवना को देखते हुए आवश्यक है कि सोशल मिडिया पर सतत् निगरानी की जाय। साइबर सेल, हजारीबाग के माध्यम से सतत् सोशल मिडिया पर निगरानी रखा जाय। अफवाह से संबंधित किसी प्रकार की सूचना एवं जानकारी प्राप्त होने पर विधिवत् जाँच कर सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कार्रवाई करना सुनिश्चित किया जायेगा।
4. प्रतिदिन किये गये कार्य से संबंधित प्रतिवेदन जिला नियंत्रण कक्ष को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।
5. इस कार्य में लगे कर्मी COVID-19 हेतु निर्धारित साफ-सफाई एवं सेनीटाईजेशन से संबंधित निर्देशों का पूर्ण रूप से पालन करना सुनिश्चित करेंगे।
6. इस कार्य से संबंधित कर्मियों को पहचान पत्र जन सर्म्पक पदाधिकारी, हजारीबाग अपने स्तर से निर्गत करना सुनिश्चित करेंगे।

विश्वासभाजन

उपायुक्त-सह-अध्यक्ष,
जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार-सह-अध्यक्ष,
जिला स्तरीय समन्वय समिति, हजारीबाग

ज्ञापांक ......1012........./Covid हजारीबाग, दिनांक ......25/03.../2020

प्रतिलिपि : सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को प्रासंगिक पत्रों की छायाप्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्क कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि किसी प्रकार की सूचना प्राप्त होने पर जिला सूचना जन सर्म्पक पदाधिकारी, हजारीबाग एवं जिला नियंत्रण कक्ष कोषांग, हजारीबाग को सूचना उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपि : जिला जन सर्म्पक पदाधिकारी, हजारीबाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : पुलिस उपधीक्षक, मुख्यालय, हजारीबाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर/ बरही को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : पुलिस अधीक्षक, हजारीबाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : नगर आयुक्त, नगर निगम, हजारीबाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

25/3

उपायुक्त-सह-अध्यक्ष,
जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार-सह-अध्यक्ष,
जिला स्तरीय समन्वय समिति, हजारीबाग